

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 990]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 990]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

**आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

**का.आ. 1544(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्: —

क्रम सं.	धारा
1.	धारा 2
2.	धारा 20 से धारा 39
3.	धारा 41 से धारा 58
4.	धारा 71 से धारा 78
5.	धारा 81 से धारा 92

[फा. सं. ओ-17034/18/2009-एच]

राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

**S.O. 1544(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of May, 2016 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

Sl. No.	Section
1.	Section 2
2.	Sections 20 to 39
3.	Sections 41 to 58
4.	Sections 71 to 78
5.	Sections 81 to 92

[F. No. O-17034/18/2009 –H]

RAJIV RANJAN MISHRA, Jt. Secy.